

Member of Parliament Local Area Development Scheme



फा.सं.सी-42/2013-एमपीलैड्स

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated 05.02.2016

सेवा में,

- (1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
- (2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु सिफारिश का प्रस्ताव ।

महोदय/महोदया,

व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए एमपीलैड्स निधियों के प्रयोग के बारे में स्पष्टीकरण संबंधी संदर्भ मंत्रालय में प्राप्त हुआ है ।


2. मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एमपीलैड्स के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों के निर्माण की अनुमति है लेकिन 'व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभों के लिए परिसंपत्तियों' की मनाही है । इसलिए, व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं है ।

3. तथापि, एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.18 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

“सांसद, कार्यान्वयन के भौगोलिक क्षेत्र और अनुशासित राशि को दर्शाते हुए किसी केन्द्र प्रायोजित योजना में केन्द्रीय और राज्य हिस्सेदारी के संबंध में, अपनी एमपीलैड्स निधियों में से कुछ राशि के संवर्द्धन की अनुशांसा कर सकते हैं, किन्तु लाभार्थियों को दर्शाने की अनुमति उन्हें नहीं होगी जो जिला प्राधिकारी द्वारा पहले से ही तैयार की गई किसी पूर्व सूची/प्राथमिकता सूची के अनुसार ही बने रहेंगे, तथा सांसद के अनुरोध पर सूची में बदलाव करना अपेक्षित नहीं होगा ।”

4. इसका आशय है कि संसद सदस्य एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.17 और 3.18 में निहित प्रावधानों के अध्यक्षीन 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी स्कीमों जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए धनराशि में बढ़ोतरी हेतु निधियों की सिफारिश कर सकते हैं।
5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,



(तपन मित्र)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड से संबंधित सभी नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।